

7/1/26

अधिवक्ता अपीलान्त मनु० | अधिवक्ता अपीलान्त एवं
अपीलान्त को न्यायालय समय में रुक-रुक कर धारण
खगायी गयी | किन्तु न्यायालय में कोई उपस्थित नही
हुआ, इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अपीलान्त को प्रकरण
में आदेशिका दिनांक 25/3/25 द्वारा रेस्यो. के पंजीकृत
लम्बन पेश करने हेतु निर्देशित किया गया | लेकिन अधिवक्ता
अपीलान्त द्वारा आदेशिका तक रेस्यो. के पंजीकृत लम्बन
पेश नही किये | अतः उक्त अपील अहम हाजरी/फैकी |
तकमील में खारिज की जाती है | पत्रावली इसी मुताबिक
निर्दिष्ट की जाकर बाद तकमील संख्या से कम होकर
हाजिज दफ्तर हो |

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली